भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



अर्पधकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

असाधारमा Extraordinary

tio 133] No. 133]

विल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 1995/आबाड 23, 1917 DELHH, FRIDAY, JULY 14, 1995/ASADHA 23, 1917

[पी.धार.डो. सं. 208 [P. R.D. No. 208

षाग–IV PART–IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विन (लेखा) विभाग

अधिमूचना

दिल्ली, 14 जुलाई, 1995

फा. मं. 6(5)/78-विन (लेखा)/खण्ड-ाि: राष्ट्रीय राजवानी क्षेत्र: दिल्ली के उपराज्यपाल, इस सरकार की दिनांक 21 नगम्बर, 1994 की स्रविनुचना हारा जारी की गई उत्तराज्यताल/मुख्यमंत्री राहत कोप (शाय एवं व्यय के विनियम) नियमावत्री, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, सर्थात:-

मंगोधन

- (1) पैरा 2 (ग) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए और दिल्ली कत्याण समिति तथा ऐसे अन्य संस्थाओं में अंशदान जिसे उपराज्यपाल/मृख्यमंती हारा समय-समय पर यथा अनुमोदिन किये जाएं।
- 2 क्रोर पैरा 2 ग की नीसरी लाइन में जब्द ''केबल'' लोग किया जाए।

यादेण हारा,

के. एस. वैदवान, प्रधान मचिव

FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 14th July, 1995

No. F. 6(5):78-Fin(Acs) Vol. II:—The Lieutenant Governor, Delhi is pleased to make the following amendments in the Lieutenant Governor Chief Minister's Relief Fund (Regulation of Income and Expenditure) Rules, 1994 issued vide this Government's Notification No. F. 6(5):78-Fin (Acs) Vol. II. dated 21st November, 1994, namely:—

AMENDMENT

- 1. Add the following at the end of Para 2(c) :--
 - And contributions from Delhi Kalyan Samiti and such other organisations as may be approved by LG CM from time to time.
- 2. Further, the word 'solely' appearing in line 3 of Para 2(c) will stand deleted.

By Order,

K. S. BAIDWAN, Pr. Secy.

1706 DG/95

(1)

10/

विन (मामान्य) विभाग ग्रधिमुचनाएं

दिख्ली, 14 जुनाई, 1995

सं. फा. 4(20)/95-वि. (सा.)/(i) राष्ट्रीय राजधानी श्रीव दिल्ली के उत्तराज्यपाल इस सरकार की ग्रीधमूचना संख्या फा. 4(20)/95-वि. (सा.)/(i) दिनांक 15 जृत, 1995 को कि दिल्ली विश्वी कर ग्रीखिलियम, 1975 की धारा 4 की उपद्यारा (1) के नीसरे परन्तुक के ग्रान्तर्गन जारी हुगा था, में सहर्प निम्नलिखिन संगोधन करते हैं, ग्राथीत्:--

संगोधन

कही गई प्रधिन्चना में,--

- (क) सनुच्छेद 2 की पंक्ति संख्या 4 व 5 में आये अक्षर. णव्द, संकापने कीष्टक "अधिनूचना नं. फ. 4(73) 94-वि. (मा.)!(1)" के स्थान पर अक्षर, जब्द संकापने कीष्टक "अधिसूचना मं. फ. 4(73)!74 वि. (मा.)!(1)" प्रतिस्थाणित विष् जते हैं,
- (ख) जी के "मंगोजन" के नीचे कम संख्या (ii) फ्रांट (iii) की प्रविष्टियों समाप्त की जाती है क्रींट कर संख्या (iv) क्रींट (v) की प्रविष्टियों की कर संख्या त्रमशः (ii) ग्रींट (iii) की जाती है।

FINANCE (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATIONS

Delhi, the 14th July, 1995

No. F. 4(20)[95-Fin.(G)](i):—The Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendments in this Government's notification No. F. 4(20)[95-Fin.(G)](i) dated 15th June, 1995, issued under the Third Proviso to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (a) for the words, figures, letters and brackets "notification No. F. 4(73) 94-Fin.(G) (i)" occuring in lines 4 and 5 of para 2, the words, figures, letters and brackets "notification No. F. 4(73) 74-Fin.(G) (i)" shall be substituted;
- (h) under the heading "AMENDMENT", entries at serial No. (ii) and (iii) shall be omitted and entries at serial No. (iv) and (v) shall be renumbered in place thereof as entries No. (ii) and (iii) respectively.

सं. फा. 4(20)/95-विज्ञ (मा.)/(ii) :---राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिस्तों के उपराज्यपाल इस सरकार की अधि-मूचना संख्या फा. 4(20)/95-विज्ञ (सा.)/(ii) दिनांक 15 ज्न, 1995 की धारा 4 की उपधारा (1) के तीमरे परन्तुक के अन्तर्गत जारी हुआ था, में सहपं निम्नलिखित संशोधन करने हैं सर्थान्:--

मंणीधन

कही गई श्रिधिस्वता के णीर्षक "बस्तुओं का नाम" के नीचे की पहली बस्तु में, कहने का श्रर्थ है कि, श्रायरन व स्टील कोएटक का धाक्य "[जो बस्तुए इस सरकार की श्रिधिस्चना संख्या 4(11)/94-विन्त(सा.)/(iv) दिनांक 20 मई, 1994 में विणित है वे इसमें सम्मिलित नहीं हैं तथा उन पर । प्रतिणत की दर से कर लगेगा]", जो कि उक्त बस्तुओं के अंत में श्राया है, समान्त किया जाता है।

No. F. 4(20) 95-Fin(G) (ii):—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendments in this Government's notification No. F. 4 (20) 95-Fin(G)! (ii) dated the 15th June. 1995, issued under the Third previso to sub-section (1) of section 4 of the Delh' Sales Tax Act. 1975, namely.—

AMENDMENTS

In the said notification, under the heading "NAME OF THE GOODS", in the first item of goods, that is to say, from & Steel, the bracketed phrase "(other than the goods specified in this Government's notification No. F. 4(11)'94-Fin(G) (iv) dated the 20th May, 1994 in respect of which the rate of tax will centinue to be one percent)" occuring at the end of the said item of goods shall be omitted.

सं. फा. 4(20)/95--विन्न (सा.)/(iii):---राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लो के उपराज्यपाल सहर्ष केन्द्र सरकार की पूर्वानुसति सें, इस सरकार की प्रधिसूचना सं. फा. 4(11)/95--विन्न (सा.) (iv) दिनांक 20 मई, 1994 को कि दिल्ली विक्री कर अधिनियस, 1975 की धारा उ की उपधारा (1) के पहले और तीनरे परन्तुक के अन्तर्गत जारी हुआ था, में निम्न संशोधन करने हैं, अर्थात्:--

संगोधन

कही गई अधिसूचना में भव्द "रुपये का एक पैसा" की निस्त हारा विस्थापित किया जाता है, अर्थात् :---

"प्रथमें के दी पैनें"

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के श्रादेश में और उनके नाम पर.

ही. पी. द्विवेदी, उपसचिव

No. F. 4(20)|95-Fin(G)|(iii):—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make, with the prior approval of the Central Government, the following amendments in this Government's notification No. F. 4(11)|95-Fin (G) (iv) dated the 20th May, 1994, issued under the first and Third provisos to sub-section (1) of section 4 of the Delhi Sales Tax Act, 1975, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the words "One paise of the rupee", the following shall be substituted, namely:—

"Two paise of the rupee".

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory or Delhi,

D. P. DWIVEDI, Dy. Sccy.